भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3832**

24.03.2025 को उत्तर के लिए

**विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी**

**3832. श्री प्रदीप पुरोहित :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पर्यावरण मंजूरी के लिए लंबित रेलवे, खनन, बांध/सिंचाई और नई/मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, परियोजनावार लागत तथा पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) मंजूरी देने में देरी के क्या कारण हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में मंजूरी के लिए औसतन कितना समय लगता है;

(ग) परियोजना निष्पादन और आर्थिक विकास पर ऐसे विलंब का क्या प्रभाव होगा;

(घ) सरकार द्वारा मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें कोई प्रस्तावित नीतिगत सुधार या एकल खिड़की मंजूरी तंत्र शामिल है; और

(ङ) क्या पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए समय पर अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए कोई क्षेत्र-विशिष्ट उपाय शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ङ) भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 जारी की है। संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावों का मूल्यांकन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक परामर्श में उठाए गए मुद्दों सहित परियोजना में शामिल सभी पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। ईएसी/एसईएसी की सिफारिश के आधार पर, परियोजनाओं पर पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) या किसी अन्य प्रकार की मंजूरी प्रदान करने के लिए मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा आगे विचार किया जाता है। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तथा

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में निर्धारित शमन उपायों सहित उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल करने के बाद पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की जाती है।

समय-समय पर संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के मौजूदा उपबधों के अनुसार, उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना कार्यकलापों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है। रेलवे परियोजनाएं संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। केंद्रीय स्तर पर प्रस्तुत खनन, बांध/सिंचाई और नई/मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार, परियोजनाओं की 39 श्रेणियां हैं जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने में लगने वाला औसत समय 81 दिन था।

पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस मंत्रालय ने हाल ही में कई प्रणालीगत सुधार किए हैं, जिनमें परिवेश (एकल खिड़की पोर्टल जो संपूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है) में सुधार करके प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से तथा ईआईए अधिसूचना, 2006 में हाल ही में किए गए संशोधनों के माध्यम से कई प्रणालीगत सुधार किए गए हैं, जैसे कि टीओआर/ईसी की वैधता बढ़ाना, टीओआर अनुमोदन से पहले आधारभूत डेटा संग्रहण को सुगम बनाना तथा जन सुनवाई में सुधार करना। इसके अलावा, पंप भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (पीएसपी) को पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया गया। जिन पीएसपी को वन या वन्यजीव मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जिनमें नए जलाशय नहीं हैं, जिनके सबमर्जेंस क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है और मौजूदा जलाशय की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, उन्हें ख2 श्रेणी की परियोजनाओं के रूप में माना जाता है। हाल ही में, इस मंत्रालय ने ईआईए अधिसूचना, 2006 के परिशिष्ट ।X की मद 6 में संशोधन किया है, जिसमें रैखिक परियोजनाओं के संबंध में सामान्य मिट्टी के निष्कर्षण के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी से छूट देने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं।

उपर्युक्त सुधारों, विशेष रूप से परिवेश के माध्यम से मंजूरी प्रबंधन में कागज रहित व्याखा ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़े तथा जिससे सतत विकास में योगदान मिले, पर्यावरणीय मंजूरी प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़े, साथ ही ईआईए अधिसूचना, 2006 में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए 105 दिनों की निर्धारित समय-सीमा पालन हो।

**अनुलग्नक**

| **क्र.सं.** | **परियोजना का नाम** | **क्षेत्र** | **राज्य** | **परियोजना की लागत (लाख रु.में )** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | क्लस्टर एक्स कोयला खनन परियोजना और कोयला वाशरी | कोयला खनन | झारखण्ड | 15465 |
| 2. | जवाहर खानी 421 ओपनकास्ट माइन [जेके-5 ओसी और 21 | कोयला खनन | तेलंगाना | 29788 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | इनक्लाइन का एकीकरण (ओसी में रूपांतरण)] | | | |
| 3. | कृष्णशिला ओपनकास्ट परियोजना, एनसीएल | कोयला खनन | उत्तर प्रदेश | 74162 |
| 4. | बिजहान कोल ब्लॉक | कोयला खनन | ओडिशा | 260000 |
| 5. | भटडी एक्सपेंशन ओसी खदान | कोयला खनन | महाराष्ट्र | 72985.64 |
| 6. | वेंकटेश खानी कोयला खदान (वीके कोयला खदान) | कोयला खनन | तेलंगाना | 48451 |
| 7. | मेसर्स पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) की बनहारडीह कोयला खनन परियोजना (12 एमटीपीए) जो झारखंड राज्य के लातेहार जिले के लातेहार और चंदवा तहसीलों के अटे, बनहारडीह, बारी, बरवाडीह, जगलदगा, रामपुर, सबानो, सुरली, टोटा और उदयपुरा गांवों में स्थित है। | कोयला खनन | झारखण्ड | 675000 |
| 8. | ग्राम नागरामुड़ा, टपरंगा, डोंगामहुआ, धौराभांटा, जांजगीर और आमगांव, तहसील तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में जिंदल पावर लि. गारे पाल्मा IV/1 कोयला खदान का विस्तार (उत्पादन: 6.0 एमटीपीए से 8.4 एमटीपीए) | कोयला खनन | छत्तीसगढ़ | 48333 |
| 9. | भारतमाला परियोजना के तहत तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के उत्तरी किनारे पर ग्रीनफील्ड क्षेत्रीय एक्सप्रेसवे का विकास, जो संगारेड्डी जिले के गिरमापुर गांव (एनएच-65 पर चैनल 492.200 किमी) से यदाद्रि भुवनागिर जिले के चौटुप्पल (एनएच-65 पर चैनल 55.400 किमी) को जोड़ेगा, जिसमें मेडक और सिद्दीपेट जिले से होकर कुल डिजाइन लंबाई 158.645 किमी होगी। | राजमार्ग | तेलंगाना | 892343 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. | तेलंगाना राज्य में एनएच (ओ) के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर निजामाबाद जगदलपुर इंटर कॉरिडोर (आईसीआर) के एनएच - 63 (किमी 29+100 से किमी 160+995 तक) के चार-लेन हाईवे आर्मूर जगतियाल-मंचरियल खंड का विकास। | राजमार्ग | तेलंगाना | 488097 |
| 11. | मौजा पलचान और मोहाल सोलंग में स्थित सराय नाला से रेत, पत्थर और बजरी का खनन जो श्री प्रताप सिंह पार्टनर मेसर्स पारस स्टोन क्रशर द्वारा प्रस्तावित है। | गैर-कोयला खनन | हिमाचल प्रदेश | 10 |
| 12. | मोरुखेड़ी पत्थर (गिट्टी) खदान | गैर-कोयला खनन | मध्य प्रदेश | 50 |
| 13. | मेसर्स पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चाणक्य सीमेंट्स चूना पत्थर खदान के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का प्रस्ताव, चूना पत्थर उत्पादन को 1.50 एमटीपीए से बढ़ाकर 1.80 एमटीपीए करने के साथ कुल उत्खनन को 1.552 एमटीपीए से बढ़ाकर 2.263 एमटीपीए करने के लिए (चूना पत्थर उत्पादन: 1.800 एमटीपीए + खनिज उप-ग्रेड: 0.433 एमटीपीए + अंतरालीय अपशिष्ट: 0.018 एमटीपीए + शीर्ष मृदा: 0.012 एमटीपीए) खनन पट्टा क्षेत्र: 354.236 हेक्टेयर। | गैर-कोयला खनन | तेलंगाना | 1569 |
| 14. | प्रस्तावित चूना पत्थर खदान "मुधवे सब ब्लॉक ए" (क्षेत्रफल: 198.90.98 हेक्टेयर) जिसकी चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 2.5 मिलियन टीपीए, ऊपरी मृदा: 0.22 मिलियन टीपीए, ओवर बर्डन: 2.08 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन: | गैर-कोयला खनन | गुजरात | 20000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4.8 मिलियन टीपीए) ग्राम: मुधवे, तालुका: लखपत, जिला: कच्छ, गुजरात में मेसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट द्वारा। | | | |
| 15. | हरिदासन की ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन खदान | गैर-कोयला खनन | केरल | 263.2685 |
| 16. | मेसर्स रेन सीमेंट्स लिमिटेड के तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के मेलचेरुवु मंडल के रेवूर और मेलचेरुवु गांवों में 417.95 हेक्टेयर के खदान पट्टा क्षेत्र में 3.9475 एमटीपीए (आरओएम 3.94 एमटीपीए + टीएस 0.0075 एमटीपीए) के कुल उत्खनन के साथ चूना पत्थर उत्पादन को 1.6 एमटीपीए (आरओएम) से बढ़ाकर 3.94 एमटीपीए (आरओएम) किया गया। | गैर-कोयला खनन | तेलंगाना | 4050 |
| 17. | मेसर्स स्कॉटिया माइंस प्राइवेट लिमिटेड की ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन खदान, प्रबंध निदेशक, श्री जोमित जोस | गैर-कोयला खनन | केरल | 300 |
| 18. | मेसर्स पालोथ ग्रेनाइट मेटल्स की ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन खदान, प्रबंध साझेदार, श्री मशूद | गैर-कोयला खनन | केरल | 450 |
| 19. | श्री शफीक अली पी की ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन खदान | गैर-कोयला खनन | केरल | 100 |
| 20. | श्री निसामुदीन के एस की ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन खदान | गैर-कोयला खनन | केरल | 300 |
| 21. | मेसर्स अल जौफ ग्रेनाइट मेटल्स, प्रबंध साझेदार, श्री अशरफ पी टी, की ग्रेनाइट/बिल्डिंग स्टोन खदान का प्रस्तावित कार्य, सर्वे संख्या 183/1, 183/8, 184/4, 185/1, 185/2, 185/3-1, 185/3-2, 185/2-1, 185/3-3, 187/2, 187/3, उरंगट्टीरी गांव, एरानाड तालुका, | गैर-कोयला खनन | केरल | 420 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | जिला मलप्पुरम, केरल राज्य में 4.1132 हेक्टेयर क्षेत्रफल के पट्टे के लिए | | | |
| 22. | मेसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, कैप्टिव लाइमस्टोन माइंस (खान पट्टा 1, क्षेत्रफल 267.695) की उत्पादन क्षमता में दोनों खान लीज एमआई-1 से 4.8 माइक्रोग्राम प्रति वर्ष से 8 माइक्रोग्राम प्रति वर्ष तक विस्तार, विद्यमान क्रशर के साथ और गांव-सेमरिया, घिकुरिया और नंदिनी खुंडिनी, तहसील-अहिवारा (पुरानी तहसील धमधा), जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 1500 टीपीएच की अतिरिक्त क्रशिंग क्षमता के साथ। (पर्यावरण सलाहकार एनाकॉन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर)। | गैर-कोयला खनन | छत्तीसगढ़ | 8300 |
| 23. | मेसर्स जियोमाइसोर सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की जोनागिरी स्वर्ण खान परियोजना (एमएल क्षेत्र: 597.82 हेक्टेयर) के स्वर्ण अयस्क के खनन और प्रसंस्करण (आरओएम 0.4 एमटीपीए और अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र 0.3 एमटीपीए) के लिए मौजूदा पर्यावरणीय मंजूरी में से स्वर्ण अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र (0.3 एमटीपीए) घटक के लिए नई पर्यावरणीय मंजूरी | गैर-कोयला खनन | आंध्र प्रदेश | 32000 |
| 24. | मेसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, चूना पत्थर खदान (खान पट्टा ॥, क्षेत्रफल 252.105 हेक्टेयर) की चूना पत्थर उत्पादन क्षमता का विस्तार, उत्पादन क्षमता 0.3 मिलियन टीपीए से 1.35 मिलियन टीपीए, जिसके लिए शीर्ष मृदा: | गैर-कोयला खनन | छत्तीसगढ़ | 5300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 0.0243 मिलियन टीपीए, ओवरबर्डन: 0.0972 मिलियन टीपीए, इंटर बर्डन: 0.0945 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन (आरओएम): 1.566 मिलियन टीपीए) गांव-सेमरिया, घिकुरिया और नंदिनी खुंडिनी, तहसील अहिवारा (पुरानी तहसील धमधा), जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)। (पर्यावरण सलाहकार-एनाकॉन लैब प्राइवेट लिमिटेड)। | | | |
| 25. | ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 7(ii) के अंतर्गत प्रस्तावित विस्तार, मेसर्स आईके सीमेंट लिमिटेड की "मालियाखेड़ा चूना पत्थर खान" (एमएल संख्या 04/2003, क्षेत्रफल-315.409 हेक्टेयर) से चूना पत्थर की उत्पादन क्षमता 5.6 मिलियन टीपीए से 6.7 मिलियन टीपीए तक, ग्राम-मालियाखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज्य-राजस्थान में स्थित है। | गैर-कोयला खनन | राजस्थान | 9494.95 |
| 26. | उज्जैनिया पत्थर गिट्टी और एम-रेत खदान | गैर-कोयला खनन | मध्य प्रदेश | 80 |
| 27. | अलंगुलम लाइमस्टोन माइंस जी.ओ. 427 मेसर्स तमिलनाडु सीमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनसीईएम) द्वारा | गैर-कोयला खनन | तमिल नाडू | 23.31 |
| 28. | मैग्नेसाइट और ड्यूनाइट का खनन (खदान पट्टा क्षेत्र 622.29 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 26,43,936 एमटीपीए आरओएम) | गैर-कोयला खनन | तमिल नाडू | 300 |
| 29. | नारायणपोषी लौह एवं मैंगनीज अयस्क खदान में विस्तार [एमएल क्षेत्र 347.008 हेक्टेयर (डीजीपीएस के अनुसार)/349.254 हेक्टेयर (आरओआर के अनुसार)] लौह | गैर-कोयला खनन | ओडिशा | 96000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | अयस्क के साथ (आरओएम 10 एमटीपीए और ओबी 4.216 एमटीपीए) कुल उत्खनन 14.216 एमटीपीए और मैंगनीज अयस्क के साथ (आरओएम 0.036 एमटीपीए और ओबी 0.223 एमटीपीए) कुल उत्खनन 0.259 एमटीपीए मोबाइल क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग प्लांट (400टीपीएचx10 संख्या और 250टीपीएचx07 संख्या), सीपीयू 2000टीपीएच, ग्राइंडिंग एवं बेनेफिशिएशन प्लांट 6.0एमटीपीए खनिज प्रसंस्करण एवं स्लरी पंपिंग स्टेशन के साथ सुंदरगढ़, ओडिशा में लौह अयस्क सांद्रण के परिवहन के लिए | | | |
| 30. | कन्नूर (वाडी क्षेत्र) चूना पत्थर ब्लॉक (नीलामी ब्लॉक) जिसका पट्टा क्षेत्र 550 हेक्टेयर है, एसीसी लिमिटेड द्वारा। | गैर-कोयला खनन | कर्नाटक | 47100 |
| 31. | गांव में 390.317 हेक्टेयर क्षेत्र में महुलासुखा आयरन और मैंगनीज ब्लॉक: रांडा, रंथा और भुटुडा; उप-विभाग: बोनाई, तहसील लहुनिपाड़ा, जिला: सुंदरगढ़, ओडिशा | गैर-कोयला खनन | ओडिशा | 167 |
| 32. | प्रस्तावित 3डी2 चूना पत्थर ब्लॉक (नीलाम ब्लॉक) (क्षेत्रफल: 434.08502 हेक्टेयर) प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता 3.0 मिलियन टीपीए, ओबी/अपशिष्ट 1.15 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा 0.34 मिलियन टीपीए, (कुल उत्खनन 4.49 मिलियन टीपीए) के साथ-साथ गांवों: हरिमा और सरासनी, तहसील और जिला: नागौर, राजस्थान में वॉबलर के | गैर-कोयला खनन | राजस्थान | 12410 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | साथ क्रशर (2000 टीपीएच) की स्थापना। | | | |
| 33. | एमओईएफएंडसीसी के दिनांक 11.04.2022 और दिनांक 30.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ईआईए अधिसूचना, 2006 के पैरा 7 (ii) (क) के तहत मेसर्स ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोडिंगमाली बॉक्साइट खदान (एमएल. क्षेत्र: 428.075 हेक्टेयर) बॉक्साइट उत्पादन क्षमता में 3.0 मिलियन टीपीए से 3.6 मिलियन टीपीए (चरण 1-20%) तक विस्तार के साथ, गांव: कोडिंगमाली, तहसील: लक्ष्मीपुर और काशीपुर, जिला-कोरापुट और रायगडा, ओडिशा। | गैर-कोयला खनन | ओडिशा | 4900 |
| 34. | मेसर्स लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड की सुरजागढ़ लौह अयस्क खान पट्टा क्षेत्र 348.09 हेक्टेयर में, तहसील एटापाली, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के पास स्थित, 10 एमटीपीए से 26 एमटीपीए हेमेटाइट, 45 एमटीपीए बीएचक्यू (बैंडेड हेमेटाइट क्वार्टजाइट), 5 एमटीपीए अपशिष्ट (कुल उत्खनन: 60.0 µTPA) के साथ-साथ क्रशिंग और स्क्रीनिंग प्लांट का विस्तार। | गैर-कोयला खनन | | 171358 |
| 35. | ज़ावर समूह की भूमिगत सीसा-ज़ाइन खदानों का विस्तार 4.8 मिलियन टीपीए से 6.5 मिलियन टीपीए तक, कुल उत्खनन के साथ अयस्क उत्पादन: 1.28 एमटीपीए अपशिष्ट चट्टान सहित 7.78 मिलियन टीपीए और गांवों-ज़ावर, कोडिया खेत, नयाखेड़ा, रावा, टीडी, उदियाखेड़ा, बरोठी भल्डिया, बारा, | गैर-कोयला खनन | राजस्थान | 125000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | चनावाड़ा, धावड़ी तलाई, कानपुर, नेवा तलाई, पाड़ला, परसाद, कृष्णपुरा, सिंघटवाड़ा, तहसील-गिरवा और सराड़ा, जिला-उदयपुर (राजस्थान)में 3620 हेक्टेयर (एमएल संख्या 03/89) के एमएल क्षेत्र के भीतर 4.8 मिलियन टीपीए से 7.3 मिलियन टीपीए तक लाभ। | | | |
| 36. | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के सतना जिले के तहसील-रामनगर के गांवों-हिनौती, डेंगराहा, बिहारगंज और जुड़मनी में हिनौती एक्सटेंशन चूना पत्थर खदान (एमएल एरिया 258.867 हेक्टेयर) में चूना पत्थर उत्पादन क्षमता को 0.50 मिलियन टीपीए से बढ़ाकर 1.0 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा 240 टीपीए (0.00024 मिलियन टीपीए), ओबी 0.88 मिलियन टीपीए (कुल उत्खनन 1.88 मिलियन टीपीए) तक विस्तार। | गैर-कोयला खनन | मध्य प्रदेश | 800 |
| 37. | मेसर्स ब्लू चिप्स माइंस एंड इंडस्ट्रीज की ग्रेनाइट बिल्डिंग स्टोन खदान (इसके प्रबंध साझेदार, श्री थॉमस बाबू द्वारा प्रतिनिधित्व) | गैर-कोयला खनन | केरल | 203.4167 |
| 38. | अलंगुलम लाइमस्टोन माइंस जी.ओ. 427 मेसर्स तमिलनाडु सीमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TANCEM) द्वारा | गैर-कोयला खनन | तमिल नाडू | 23.31 |
| 39. | मैग्नेसाइट और ड्यूनाइट का खनन (खान लीज क्षेत्र 622.29 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 26,43,936 एमटीपीए आरओएम) | गैर-कोयला खनन | तमिल नाडू | 300 |